संख्या-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (लेखा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 11 नवम्बर, 2014

विषय :- शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 में विद्यमान व्यवस्था में संशोधन के सम्बन्ध में

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 के प्रस्तर-1(2) एवं प्रस्तर-2 में विद्यमान व्यवस्था में कार्यहित में नीचे दिये गये स्तम्भ-2 के अनुसार परिवर्तन/संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान व्यवस्था	संशोधित/परिवर्तित व्यवस्था
प्रस्तर-1(2) - सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में तथा राजकीय कार्यदायी विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो पर सेन्टेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा।	सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों व अन्य निर्माण इकाईयों/स्वायतशासी संस्थाओं द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यो पर सेन्टेज कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा किन्तु राजकीय विभागों द्वारा कैश क्रेडिट लिमिट (सी0सी0एल0) प्रणाली व डिपाजिट क्रेडिट लिमिट (डी0सी0एल0) प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो पर दिनांक 01-4-2014 से सेन्टेज कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत अनुमन्य होगा। यदि सम्बन्धित विभागों के द्वारा जिन कार्यो पर 12.5 प्रतिशत की दर से सेन्टेज (अधिष्ठान व्यय) राजकोष में जमा किया जा चुका है, उन्हें पुनरोद्घाटित नही किया जायेगा।

प्रस्तर-2 - लोक निर्माण विभाग सहित अन्य राजकीय विभागों द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों (अनुदान संख्या-81 व 83 के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों सहित) के लिए निर्माण लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत सेन्टेज (अधिष्ठान व्यय) जोड़कर आगणनों का गठन किया जाय। इन विभागों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए सेन्टेज चार्जेज सहित कार्य की स्वीकृत लागत परियोजना पर व्यय के रूप में दिखायी जायेगी परन्तु सेन्टेज चार्जेज की धनराशि का संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के लेखा शीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।	लोक निर्माण विभाग सहित अन्य राजकीय विभागों द्वारा सी0सी0एल0 प्रणाली के अन्तर्गत किये जाने वाले नये निर्माण कार्यों (अनुदान संख्या-81 व 83 के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों सहित) पर कार्यांश (लागत 100) का 6.875 प्रतिशत सेन्टेज (अधिष्ठान व्यय) जोड़कर आगणनों का गठन किया जाय। इन विभागों के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के लिए सेन्टेज चार्जेज सहित कार्य की स्वीकृत लागत परियोजना पर व्यय के रूप में दिखायी जायेगी परन्तु सेन्टेज चार्जेज की धनराशि सम्बन्धित विभाग के सुसंगत लेखा शीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा, ट्रेजरी चालान अथवा ई-संक्रमण के माध्यम से खण्डीय लेखाकारों/लेखाधिकारियों/अधिशासी अभियन्ताओं अथवा जिसे यह दायित्व सौंपा गया हो/सौंपा जाये, द्वारा जमा किया जायेगा। उक्त व्यवस्था का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बन्धित विभागाध्यक्ष तथा वित्त नियंत्रक का होगा। किसी भी प्रकार का विचलन गम्भीर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। सम्बन्धित विभाग के वित्त नियंत्रक द्वारा इसकी समीक्षा कर त्रैमासिक रिपोर्ट वित्त विभाग को प्रेषित की जायेगी।

2- उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75 दिनांक 25 जनवरी, 2011 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा। शेष शर्तें/प्राविधान यथावत रहेगें। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा-समय किये जायेगें।

कृपया इस सम्बन्ध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ सम्बन्धित अधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-ए-2-1606(1)/दस-2014-17(4)/75- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।

4- आयुक्त, समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश शासन।

5- प्रमुख सचिव, विधान परिषद/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।

6- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

7- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

10- वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/ लघु सिंचाई/भूगर्भ जल विभाग व वन विभाग, उत्तर प्रदेश।

11- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

12- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।

13- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

14- निदेशक, एन0आई0सी0 को वित्त विभाग की बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।

15- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राकेश चौबे)
विशेष सचिव।